उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4
संख्या- 20 /2019/268/22-4-18-48(31)/16
लखनऊ : दिनांक- 08 मार्च, 2019

**शुद्धि पत्र**

डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के परिसर में निर्माणाधीन महिला छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश संख्या-17/2019/230/22-4-19-48(31)/16, दिनांक 06 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2 में पुनरीक्षित स्वीकृति की धनराशि रू0 249.66 लाख के स्थान पर रू0 266.10 लाख पढ़ा जाय। शासनादेश दिनांक-06 मार्च, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-20/2019 /268(1)/22-4-2019-तददिनांकित-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त ( व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in